

सं0सं0-14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
राजेश्वर अस्पताल  
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर  
कंकड़बाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.10.17. की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	हरेन्द्र प्रसाद पिता-स्व. कमल साह ग्राम+पो0-सुतीहार थाना-डेरनी जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार .) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 .....~~451158~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- **1499002109000623** खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-  
( डा0 आर0 डी0 रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....~~757158~~की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1702(14)

पटना, दिनांक 13.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/10/17  
11/11/17  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-3/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
मेदान्ता द मेडिसिटी, गुड़गांव,  
सेक्टर-38, हरियाणा,  
पीन-122 001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विनोद राय पिता-कृष्ण राय ग्राम-पुरानी बाजार पोस्ट+थाना-रामनगर जिला-प० चम्पारण यू०एचआईडी-1121393	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,60,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- ( एक लाख साठ हजार ) का क्रास चेक सं०..... 454157 .....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

- यह चेक ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लि०, गुड़गांव हरियाणा के नाम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह० /  
( डा० आर० डी० रंजन )

ज्ञापांक 1680(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 12-10-17

निदेशक प्रमुख  
01/10/17

सं० सं० 14/एम 11-2/17 16 83 (14)  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मिठी कुमारी पिता-अशोक साह ग्राम-बहुआरा पोस्ट-मनोहरपुर थाना-राजपुर जिला-बक्सर एमआरडीनं०-1221834	कोकलीयर इम्प्लान्ट	₹ 5,50,000/- (पांच लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	उषा देवी पति-करुण प्रसाद ग्राम-ठाकुरबाड़ी पो०-मोतिहारी थाना-टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण पंजी सं०-1384/17	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	त्रिवेणी पाण्डेय पिता-स्व.सिद्धिधर पाण्डेय ग्राम-जनार्दनपुर पोस्ट+थाना-दुर्गावती जिला-भभुआ, कैमुर एमआरडीनं०-851071	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	उषा देवी पति-राम दहिन राम ग्राम-शिवपुर पो०-पर्वतपुर थाना-चैनपुर जिला-भभुआ, कैमुर एमआरडीनं०-1376609	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

६२

5	अरूण पाण्डेय पिता-मथुरा पाण्डेय ग्राम-घेवड़ा पो0-दधवा थाना-कोचस जिला-रोहतास एमआरडीनं0-680326	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	शशि देवी पति-सुरेन्द्र साह ग्राम-सहादत डिहरा पो0+थाना-दावथ जिला-रोहतास पंजीसं0-1603/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
7	धनंजय कुमार साह पिता-स्व. मुन्नी साह ग्राम-मल्हीपुर पोस्ट--ममरेजपुर थाना-चेनारी जिला-रोहतास एमआरडीनं0-1333963	हड्डी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	गौतम कुमार पिता-पारस नाथ पासवान ग्राम-जगदेव नगर बोलीया रोड पो0-थाना-सासाराम जिला-रोहतास एमआरडीनं0-76434	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
9	सत्येन्द्र मेहता पिता-सीता राम महतो ग्राम-परसावा बिगहा पो0-अम्बा थाना-कुटुम्बा जिला-औरंगाबाद एमआरडीनं0-1238843	न्युरो रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
10	राम नरेश प्रसाद चौरसीया पिता-ष्णुपति प्रसाद ग्राम-भैरोपुर निजामत पो0+थाना-डोरीगंज जिला-सारण एमआरडीनं0-1338495	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,90,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,90,000/- ( ग्यारह लाख नब्बे हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 439156.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1683(14)

पटना, दिनांक 12.10.17

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....454156 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1683(14)

पटना दिनांक 12.10.17

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री संतोष कुमार निराला मा0 मंत्री परिवहन विभाग/ श्री प्रमोद कुमार, मा0 मंत्री पर्यटन विभाग/ श्री वशिष्ठ, मा0 स0वि0स0/ श्री जय कुमार सिंह मा0 मंत्री उ0 विभाग/ श्री ललन पासवान मा0 स0वि0स0/ संबंधित मरीज/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
10/10/17

सं० सं० 14/ .एम 11-2/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में ,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	किरण देवी पति-अनिल सिंह ग्राम-पो०-बिहट थाना-बरौनी जिला-बेगुसराय केसफाइलनं०-सीपी० / 05306	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	रामाधार शर्मा पिता-स्व. बुधु सिंह ग्राम-पो०-शहर तेलपा थाना-करपी जिला-अरवल केसफाइलनं०-सीपी० / 26491	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	बिरेन्द्र कुमार चौधरी पिता-मुसाहेब चौधरी ग्राम+पो०+थाना-अंधराटाढी जिला-मधुबनी केसफाइलनं०-सीपी० / 21751	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 / -(एक लाख ) स्वीकृत।
4	रंजीत कुमार पिता-राम नन्दन सिंह ग्राम-पो०+थाना-मरांची जिला-पटना केसफाइलनं०-सीपी० / 20779	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	विजय शंकर ओझा पिता-सत्यदेव ओझा ग्राम-इन्द्रापुरी रोड नं०-10 पोस्ट-केशरी नगर थाना-पाटलीपुत्र, जिला-पटना केसफाइलनं०-सीपी० / 25503	कैंसर रोग	₹ 1,30,000 / -(एक लाख तीस हजार ) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

३२

6	नारद मुनी ओझा पिता-देवी दयाल ओझा ग्राम-ओझवलीया पो0-ईश्वरपुरा थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर केसफाइलनं0-सीपी0 / 20120	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
7	जगत सिंह पिता-स्व. वीर सिंह ग्राम-जगधर पो0-परशुरामपुर थाना-पलनवा जिला-पूर्वी चम्पारण केसफाइलनं0-सीपी0 / 10087	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
8	सरस्वती देवी पति-सियाराम पाण्डेय ग्राम-पो0-बाखर थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर केसफाइलनं0-सीएन / 36174	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
9	विलटन कुमार पिता-मनोज कुमार जयसवाल ग्राम-भगवानपुर चकशेखु पो0-थाना-दलसिंह सराय जिला-समस्तीपुर केसफाइलनं0-सीपी0 / 12016	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
10	सुनील कुमार पिता-स्व0 राम सोगारथ सिंह ग्राम+पो0-तेतरी थाना-डंडारी जिला-बेगुसराय केसफाइलनं0-सीएच / 02432	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
11	शिव नारायण शर्मा पिता-लालो शर्मा ग्राम-सुपौल वार्ड नं0-26 पोस्ट+थाना+जिला-सुपौल केसफाइलनं0-सीके0 / 26173	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 / -(एक लाख ) स्वीकृत ।
12	सीता देवी पति-शंकर महतो ग्राम-पो0+थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर केसफाइलनं0-सीएन / 30540	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत ।
13	मो0 सदरे आलम पिता-स्व. मो0 खलील ग्राम-हारुण नगर कालोनी,सेक्टर-2, पो0+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना केसफाइलनं0-सीपी0 / 05793	कैंसर रोग	₹ 9,000 / -(नौ हजार) स्वीकृत ।



14	विनोद कुमार पिता-राम प्रवेश साव ग्राम+पो0-लखना थाना-गौरीचक जिला-पटना केसफाइलनं0-सीपी0/22971	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,69,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,69,000/- ( दस लाख उनहतर हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~818811~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683, खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~818811~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1689 (14)

पटना, दिनांक

12.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री नीरज कुमार मा० स० वि० पो०/संबंधित मरीज/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
21.10.17

सं० सं० 14/एम 11-3/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
धर्मशीला अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर  
धर्मशीला मार्ग, वसुन्धरा इनकलेव  
दिल्ली 110096।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.10.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	समसा खातुन पति-जब्बार झाईवर ग्राम-मेहसौल उर्फ रामपुर लक्ष्मी पो०-मेहसौल थाना+जिला-सीतामढ़ी	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल रू० 80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 80,000/- ( अस्सी हजार ) का क्रास चेक सं०.....818813.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1684(14)

पटना, दिनांक 12-10-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों/आई टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
निदेशक प्रमुख  
21.10.17

सं० सं० 14 / एम 11-3/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.10.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	माहिरा पिता-मो० इरफान ग्राम-मखदुम रास्ती कोलोनी पो०+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 848812 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584269, खाता धारक का नाम-"AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S ACCOUNT" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०... 87.881.2 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक 1681(14)

निदेशक प्रमुख  
पटना, दिनांक 12.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
12.10.17

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट अस्पताल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्दन कुमार पिता-मथुरा यादव ग्राम-गोरी बहियार पोस्ट-टेलवा बाजार थाना-सिमुलतला जिला-जमुई	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	नीतु देवी पति-बैजनाथ कुमार ग्राम-सोनकुकरा भोजपुर पोस्ट+थाना-मसौढ़ी जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	ललीया देवी पति-सदानन्द पासवान ग्राम-बौसी यादव टोला, मझुआ टोला, पोस्ट-लकुनवा थाना-बौसी, जिला-अररिया	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	मनोज प्रसाद पिता-राजबली प्रसाद ग्राम-चैलीरार पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	बिनेश प्रसाद पिता-कृत यादव ग्राम-लोहा बिगहा पो०-मोहीउद्दीनपुर थाना-कांको जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,75,000/- ( एक लाख पचहतर हजार ) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

र

6	कांति देवी पति-इन्द्रजीत राय ग्राम-राघोपुर पूर्वी पो0-राघोपुर थाना-जुड़ावनपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,20,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,20,000 /-(चार लाख बीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~154189~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

( डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~154189~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 /-

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 13/10/17

ज्ञापांक 1694 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
24.10.17

सं0 सं0 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
पारस एच0एम0आर आई0 अस्पताल,  
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	ममता देवी पति-संजय सिंह ग्राम+पोस्ट-दियामन थाना-कृष्णा ब्रहम जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	विनिता सिंह पति-सरोज सिंह ग्राम-पो0-सिंघौल थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	जयवन्ती देवी पति-अमेरिका यादव ग्राम-कोल्हा बिगहा पोस्ट-मंजौर थाना-वारसलीगंज जिला-नवादा	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	अनिता देवी पति-राज कुमार सोनी ग्राम-पो0-लामीचौर थाना-भोरे जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	भरत चौधरी पिता-पुना चौधरी ग्राम-धमनी पो0-मधुरापुर थाना-कौवाकोल जिला-नवादा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- ( चार लाख पचास हजार ) का क्रास चेक सं०.....  
.....~~451188~~..... मूल रूप में संलग्न है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-


( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 13.10.17

ज्ञापांक 1698 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
11.10.17



सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कृष्ण बिहारी सिंह पिता-शिव बचन सिंह ग्राम+पो०-भदार थाना-सिकरौल जिला-बक्सर	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,25,000 /-( एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
2	रामा देवी पति-स्व. सुधीर सिंह ग्राम-राजेन्द्र नगर रोड नं०-10 महमुदीचक पटना पो०-राजेन्द्र नगर थाना-कदमकुंआ जिला-पटना	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल रु० 2,25,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,25,000 /- ( दो लाख पच्चीस हजार) का क्रास चेक सं०.....~~454187~~..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


ह० /-

( डा० आर० डी० रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1695(14)

पटना, दिनांक 13.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/ श्री विजय प्रकाश, मा0 पूर्व मंत्री /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
21.10.17

सं0सं0-14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
मेडिका मगध अस्पताल,  
राजेन्द्र नगर रोड नं0-2बी0  
पटना- 800016

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17. की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अशोक कुमार यादव पिता-कमलेश्वरी यादव ग्राम-राजपुर-13 पोस्ट-मानीकपुर थाना+जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	शैलेन्द्र कुमार सिंह पिता-हरि किशोर सिंह ग्राम+पो0-रसलपुर थाना-डुमरा जिला-सीतामढी	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	सुनील मिश्रा पिता-स्व. सुरेश मिश्रा ग्राम-चन्दवा टोला पो0-चन्दवा, थाना-नवादा जिला-भोजपुर, आरा	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख ) स्वीकृत।
4	उमा शंकर सिंह पिता-खदेरन सिंह ग्राम+पो0-सारा थाना-तरारी जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	मो0 कासीम पिता-मो0 सादीक ग्राम-बभनोली पो0-सरैया श्रीकांत थाना-बसंतपुर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,75,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 5,75,000/—.(पांच लाख पचहतर हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 457191 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 3705550128 खाता धारक का नाम—'मेडिका मगध अस्पताल, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम - पी०बी०बी०, डाक्टर कालोनी RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/—

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 457191 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/—

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1697 (14)

पटना, दिनांक 13.10.17

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
11.10.17

सं० सं०- 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अब्दुल जब्बार पिता-मो० हबीबुर रहमान ग्राम+पो०-लरुआरा थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	विजय कुमार यादव पिता-नगीना यादव ग्राम-दरियाचक पो०-फुलेपुर थाना-अथमलगोला जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सुनील साह पिता-स्व. जगदेव साह ग्राम-पो०-रसलपुर थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
4	डोमी यादव पिता-स्व० सुनर यादव ग्राम-कुपरीया पो०-जरला थाना-त्रिवेणीगंज जिला-सुपौल	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	नागेश्वर ठाकुर पिता-अशर्फी ठाकुर ग्राम-बंगरा घट्टी पो०-टोला मुजा थाना-बरुररुज जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

6	सीमा कुमारी पति-संतोष कुमार ग्राम+पो0+थाना-बेउर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	शिवनाथ कुमार पिता-स्व. बिहारी राय ग्राम-बिग्रहपुर पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,90,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~75419/~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0एस0 हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख,

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~75419/~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1696(14)

पटना, दिनांक 13.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
21-10-17

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रेशमी कुमारी पिता-स्व. राम बालक सिंह ग्राम-मियां बिगहा पोस्ट-कहुआरा थाना-नारदीगंज जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	अशोक कुमार साह पिता-स्व. श्याम लाल साह ग्राम-जानकी प्रसाद लेन, मुंदीचक, थाना-तीलकमांडी पो०+जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
3	लक्ष्मी साह पिता-स्व. प्रभु साह ग्राम-बागमुसा पोस्ट+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत।
4	मो० राजु आलम पिता-स्व. अब्दुल हमीद ग्राम-मटियारा पो०-कायम नगर थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर, आरा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-( एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
5	सुमन्ती देवी पति-बृज मोहन मिश्रा ग्राम-सुमेरा पो०-मलाठी थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-( एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।

6	राजकुमारी देवी पति-स्व. कपिलदेव सिंह ग्राम+पो0-गाड़ा थाना-भगवानपुर जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत ।
7	उषा देवी पति-संजय शर्मा ग्राम-सालीमपुर अहरा पो0-कदमकुंआ थाना-गांधी मैदान जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत ।
8	कालो देवी पति-स्व. गंगा सिंह ग्राम-साहील पो0-उत बिलारा थाना-टनकुप्पा जिला-गया	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-( एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत ।
9	मो0 याकुब पिता-मो0 तौहीदुल हक ग्राम-खातोपुर मदिनी नगर पो0-मिर्जापुर बन्दार थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत ।
10	अनामिका कुमारी पिता-मुकेश कुमार ग्राम-नुरपुर चांदमारी पो0-चांदमारी थाना-शाहपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,10,000 /-( एक लाख दस हजार ) स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
11	आमना खातुन पति-सुल्तान मियां ग्राम-छगरांहा पो0-छपरा बहार थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत ।
12	बेबी देवी पति-कमला राय ग्राम-बीचला तेलपा पो0-छपरा, थाना-नगर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 48,000 /-( अड़तालीस हजार) स्वीकृत ।
13	जयमन्ती देवी पति-बैजनाथ मिस्त्री ग्राम-बगुली पो0-सचौल थाना-हिसुआ जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,60,000 /-( एक लाख साठ हजार ) स्वीकृत ।



14	तारामुनी देवी पति-बृज किशोर साह ग्राम-हसनपुरा पो0-थाना-गरखा जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
15	सीता राम राय पिता-स्व. राजेन्द्र राय ग्राम-पो0-कुसैया थाना-वारीसनगर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 2,10,000 /-( दो लाख दस हजार ) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
16	चन्दा देवी पति-श्रवण कुमार सिंह ग्राम+पो0-अरगा थाना-बिरौल जिला-दरभंगा	हृदय रोग	₹ 45,000 /-(पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
17	कृष्णा प्रसाद पिता-राम प्रकाश प्रसाद ग्राम+पो0-कोईरी गावा थाना-बड़हरीया जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) स्वीकृत।
18	शोभा देवी पति-राम सेवक सिंह ग्राम-बड़हीया राम चरण टोला वार्ड नं0-6, पो0+थाना-बड़हीया जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 17,98,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,98,000 /-( सतरह लाख अनठानवे हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~451183~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~754188~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1701(14)

पटना, दिनांक 12, 10, 17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

74204  
11/10/17  
निदेशक प्रमुख  
श्री. व. ई. ई.

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.10.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	ब्रज किशोर प्रसाद पिता-राज नारायण प्रसाद ग्राम+पोस्ट+थाना-महुआवा जिला-पूर्वी चम्पारण	हड्डी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	राखी कुमारी पिता-जय प्रकाश कुमार ग्राम-भागलपुर पोस्ट+थाना-बोधगया जिला-गया	सर्जरी	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	कल्पना शर्मा पति-संजय कुमार शर्मा ग्राम-ब्रहमपुर पोस्ट-बेउर थाना-फुलवारी जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	मंजीत कुमार पिता-हरि लाल पंडित ग्राम-लालगंज पो०-ढोलबज्जा थाना-रूपौली जिला-पूर्णिया	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	प्रजा देवी पति-अशोक कुमार ग्राम-राजीव नगर रोड नं०-7 पो०-केशरी नगर थाना-राजीव नगर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

62

6	सुशीला देवी पति-बैजु चौधरी ग्राम-बेहरावाचक पोस्ट-सोरमपुर थाना-पीपरा जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	मो० तसलीम पिता-स्व. अब्दुल जलील ग्राम-चकअरजानी पोस्ट-बकसामा थाना-गोरौल जिला-वैशाली	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) स्वीकृत।
8	सुजीत कुमार पिता-बैजनाथ चौधरी ग्राम+पोस्ट-मई थाना-हिलसा जिला-नालंदा	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
9	विश्वनाथ सिंह पिता-स्व. राम ध्यान सिंह ग्राम-कौरीया पो०-हरदीया थाना-बिहियां जिला-भोजपुर	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
10	सावित्री देवी पति-गुरु शरण गुप्ता ग्राम-पूर्वी लोहानीपुर पो०+थाना-कदमकुआ जिला-पटना	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
11	नाजमा खातुन पति-मो० ग्यासउद्दीन शेख ग्राम-साहजीवन दरगाह पो०-पीजरावा थाना-कुर्था जिला-अरवल	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
12	हेमन्त कुमार पाठक पिता-सुरेन्द्र पाठक ग्राम-नरहर अम्बा पो०-चन्दौत ढोगरा थाना-अम्बा, जिला-औरंगाबाद	हड्डी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
13	रीमा देवी पति-महेश कुमार साह ग्राम-बेगमसराय पो०-थाना-बछवाड़ा जिला-बेगुसराय	एंटी वायरस थेरापी	₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

14	जय माला देवी पति-दीप नारायण सिंह ग्राम+पो0-कुशमौल थाना-भरगामा जिला-अररिया	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
15	तेतरी देवी पति-मजिस्टर बैठा ग्राम-रणपट्टी पो0-मटियार थाना-मांझी जिला-सारण, छपरा	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
16	बद्री प्रसाद जयसवाल पिता-रामजी लाल जयसवाल ग्राम-हाजीगंज, छिप्पी टोला पो0-बेगमपुर थाना-चौक, जिला-पटना	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) स्वीकृत।
17	आयुष कुमार पिता-प्रदीप कुमार ग्राम-जनक किशोर रोड, पो0+थाना-कदमकुंआ जिला-पटना	कोकलीयर इम्प्लांट	₹ 4,80,000/- ( चार लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 18,15,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,15,000/- ( अठारह लाख पन्द्रह हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 818822 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110002528 खाता धारक का नाम- 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~878800~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

ह०/-

ज्ञापांक 1699(14)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 13/10/17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री कुमार सर्वजीत मा० स० वि० स० / श्री नित्यानन्द राय मा० अध्यक्ष बी० जे० पी० स० भी संबंधित मरीजों / आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
13/10/17